संख्या- 37 /2017/442/24-1-17-34 लोन/86

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2017**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को विद्वुत कर वसूली के विरूद्ध समायोजन हेतु क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-248/मु0म0प्र0(वित्त)/विप्र-2/आय-व्ययक- 2016-17/288/2016, दिनांक 27 मार्च, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वित्तीय वर्ष 2016-17 में विद्वुत कर वसूली के विरूद्ध समायोजन हेतु क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 1250,00,00,000/- (रूपये बारह सौ पचॉस करोड़ मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं। यह धनराशि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को नगद आहरण न कर दिनांक 31 मार्च, 2016 तक उनके द्वारा वसूल की गयी विद्वुत कर की धनराशि के विरूद्ध पुस्तक समायोजन द्वारा अवमुक्त किया जायेगा।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-10- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को विद्वुत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरूद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान-आयोजनेत्तर-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा तथा यह भुगतान पुस्त्क समायोजन द्वारा प्राप्त लेखाशीर्षक "0043-विद्वुत कर तथा शुल्क-101-विद्वुत के उपभोग और बिक्री पर कर-01-विद्वुत के उपभोग और बिक्री पर कर" के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 30 /दस-2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 37/2017/442(1)/24-1-17, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in